

T-3489

Serial No. 3456 Deed No. 3437


Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Bihta

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **10/04/2023** by **Swarnalata Sinha**
A Stamp Duty of Rs. **6640/-** and other Fees of Rs. **20500/-** has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse
page.
The document has been registered as Deed No. **3437** in Book No. **1**, Volume No. **56** on pages from
289 to **304** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **9** / Year **2023**

Signature with Date
(NAVEEN KUMAR)
Registering Officer, **Bihta**

Date: 10/04/2023 Token No: 3489 /2023

शिवोत्त सिन्हा
10.04.2023

46
10/04/23
Abhishek
Scanned By..

10/04/2023

विकास एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा तिलख राज दिनांक 10 माह 31 प्रैल
2023 ई० को निम्नलिखित यक्षों के बीच निर्धारित हुआ ।



ASHIRVAAD ENGLICOM PVT. LTD.
10.4.23
Managing Director

Sub District Registry Office, Bihta

Token Number 3489

Reg. Year 2023

Serial Number 3456

Deed Number 3437

PresType

Name

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little

Claimant Ajay Singh (Dir Ms
Ashirwad Engicon Pvt Ltd)



Sig.

3489

Presented Swarnalata Sinha
By



Sig.

स्वर्णलता सिन्हा
10.04.2023

Executant Swarnalata Sinha

Sig.

स्वर्णलता सिन्हा
10.04.2023

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little

Identified Rakesh Kumar



By

Sig.

Rakesh Kumar
10.04.2023

SCORE Ver.4.0

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2808sop002



स्वर्णलता सिन्हा (पटना)
10.04.2023

श्रीमती स्वर्णलता सिन्हा पति श्री राकेश कुमार,
 साकिन- चॉद चौरा खाबा गली गया, पोस्ट- चॉद चौरा, थाना-
 सिविल लाईन गया, जिला- गया, बिहार, पिन कोड 823001,
 जिन्हे आगे जमीन मालिक/भुखंड स्वामीगण के नाम से सम्बोधित
 किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये
 जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादकगण,
 प्रशासकगण, हिबद्धगण उत्तराधिकारीगण को सम्मिलित होंगे)
 जिन्हे इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।
 PAN. FCMPS9523M Mob No. 7033491433

स्वर्णलता सिन्हा

10.04.2023

एवं

मेसर्स आशीर्वाद इंजीकॉन प्रा० लि० जो
 भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका
 रजिस्ट्रेशन संख्या- U45200BR2012PTC019259 जिसका
 कार्यालय- सरोज रेसीडेन्सी, ए9 विवेकानन्द मार्ग, सोना
 अपार्टमेन्ट के सामने, पाटलीपुत्रा, कॉलोनी, पटना- 800013 द्वारा
 निदेशक श्री अजय सिंह पिता स्व० जग नारायण सिंह, निवासी-
 महल्ला रामकृष्णानगर, थाना- रामकृष्णानगर, जिला- पटना,
 भारतीय नागरिक, बिहार जिन्हे यहाँ पर "विकासकर्ता/भवन
 बनावटकर्ता कहा गया है, जिनके प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि,
 समुदेशनी और/या हित उत्तराधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे, जो
 द्वितीय पक्षकार हैं। मो० नं०-7033292801 PAN. AAKCA9641C

1- यह कि इस विकास एकरानामा के अनुसूची-1 में वर्णित
 जमीन जो मौजा- पैनाल, परगना- मनेर, थाना- बिहटा, अवर
 निबंधन कार्यालय- बिहटा, अन्दर थाना नं०-70 प्रथम
 पक्षगण/जमीन मालिक का खरीदगी सम्पत्ति है। जिसे जमीन
 मालिक ने दिनांक 21-09-2022 ई० को नविस्ते श्री अविनाश
 कुमार पिता श्री राम प्रबुध सिंह साकिन, अकौना, थाना-धनरूआ

ASHIRWAD ENGINCON PVT. LTD.

3771 210-4-23
 Managing Director



जिला- पटना हाल साकिन-रामकृष्णनगर, थाना- रामकृष्णनगर, जिला- पटना से बैय खरीद किये है, जिसका बुक नं0-1, जिल्द नं0- 331, सी0 डी0 51, पेज नं0-336 से 345, टोकन नं0-17155, सिरियल नं0- 16804, वसीका नं0- 16575 निबंधन कार्यालय दानापुर है। बैय खरीदगी के रोज से बिकेता उपर्युक्त भू-सम्पत्ति पर दखल कब्जे में होकर वो रहकर पूर्ण मालिक मुसतकिल रहते चले आते है ।

2- यह कि द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता बहुमंजिला इमारत आधुनिक तकनिक से निर्माण करने का कार्य करते है एवं जमीन मालिक के जमीन के पास अन्य जमीन मालिक से बहुमंजिला इमारत निर्माण करने के लिए विकास एकरारनामा के माध्यम से जमीन प्राप्त कर चुके है और अन्य जमीन खरीद किए है। जमीन मालिक भी अपना जमीन को विकास कर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए द्वितीय पक्ष से बातचीत किया एवं प्रथम पक्ष के जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाने को तैयार हुए एवं दोनो पक्षों में निम्न बातें तय हुई है ।

(क) द्वितीय पक्ष अनुसूची-1 में वर्णित प्रथम पक्ष के जमीन को विकास कर आवासीय बहुमंजिला इमारत उच्च कोटि के सामग्री का प्रयोग कर निर्माण करेंगे एवं कुल निर्मित भाग से प्रथम पक्ष जमीन मालिक को देने के बाद जो बचेगा द्वितीय पक्ष विकासकर्ता का होगा ।

(ख) यह कि भवन निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य सभी कार्यो में जो भी खर्च होगा वह द्वितीय पक्ष विकासकर्ता करेंगे । प्रथम पक्ष एक भी रूपया खर्च नहीं करेंगे ।

(3) यह कि जमीन मालिक की आंतरिक इच्छा है कि उपर वर्णित अपने भूखंड का रचनात्मक विकास के रूप में एक आवासीय बहुमंजिला भवन एक उच्च कोटि के आधुनिक तकनिक से पलैटों एवं कार पार्किंग का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के पास संपर्क किये और उनके साथ अपने उपर्युक्त भूखंड पर

स्वर्णसिन्हा

10.04.2023

ASHIRVAJ ENGLISH PVT. LTD.

10-4-23

Managing Director



बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण करने की बात-चीत भवन के कुल बनावट में से 1150 वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से कार पार्किंग सहित 1 फ्लैट 2BHK चतुर्थ तल पर साउथ ईस्ट फेसिंग कॉर्नर जमीन मालिक के हिस्से के वो बकिये विकासकर्ता के हिस्से के शर्तों पर सहमति देते हुए उनके साथ विकास एकरारनामा उक्त पक्षों के बीच निष्पादक सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यता के हालत में अपने सभी तरह के नफा-नुकसान सोंच-समझकर बिना किसी के जोर दबाव के किये है । बहुमंजिला आवासीय भवन में जो भी बनावट होगा, उसमें फ्लैटों और कार पार्किंग स्पेशों के रूप में बनावट रहेगा ।

4- यह कि विकासकर्ता अनुसूची-1 में वर्णित भूखंड पर लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत है । इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्ता ही पूर्णतः वहन करेगा ।

5- यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता भूखंड स्वामीगण के अनुमति से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही भूकम्प रोधी बनाया जायेगा ।

6- यह कि विकासकर्ता द्वारा अच्छे आर्किटेक से नक्शा बनवायेगा एवं जमीन मालिक को दिखलाकर एवं हस्ताक्षर लेकर एवं विकासकर्ता अपने हस्ताक्षर से उपर्युक्त भूकम्प रोधी नक्शा दानापुर निजामत नगर पालिका/पटना नगर निगम से अनुमति लेने के लिए बिहार अपार्टमेन्ट अधिनियम 2006 ई0 के प्रावधानों एवं नियमावली के अन्तर्गत जमा एवं दाखिल करेंगे । इसके अलावे जिस-जिस कागजातों, शपथ पत्रों और फार्मों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी, उसपर विकासकर्ता हस्ताक्षर करेंगे और आवश्यकता अनुसार प्राधिकार में नक्शा स्वीकृति हेतु एवं अन्य कार्यों हेतु दाखिल एवं जमा करेंगे । इसमें जमीन मालिक को कोई एतराज नहीं है और न होगा । नक्शा स्वीकृति में जो भी खर्च आयेगा या होगा उसे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष वहन करेंगे ।

स्वर्णलता सिन्हा

10.04.2023

ASHIRWAD ENGLICON PVT. LTD.

10-4-23

Managing Director



7- यह कि उपरोक्त भूखंड पर निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवन का नाम आर्शीवाद IOB Glaxy Phase- II दोनो पक्षों के सहमति से रखा गया है ।

8- यह कि विकासकर्ता और जमीन मालिकगण निर्मित प्लैटों एवं कार पार्किंग का बंटवारा में दोनो पक्षों के कुल बनावट के हिस्से में दोनो के हिस्से के अनुरूप प्लैटों एवं कार पार्किंग के सहित भवन में स्थित भूमि में अविभाजित हिस्सा भी सम्मिलित रहेगा या होगा । इसके बाद ही दोनो पक्षों को अपने-अपने हिस्से के प्लैटों एवं कार पार्किंग स्पेशों के साथ साथ जमीन में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा का विभाजन लिखित रूप से कर लेंगे ।

9- यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् भूखंड स्वामीगण/प्रथम पक्ष को हिस्से का पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौपेंगे ।

10- यह विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल परम निर्मित एरिया का भूखंड स्वामीगण प्रथम पक्ष के हिस्से को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सभी मंजिलों पर सौपेंगे तथा शेष परम निर्मित क्षेत्र विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष का सभी मंजिलों पर हिस्सा होगा ।

11- यह कि जमीन मालिक द्वारा विकासकर्ता को नक्शा स्वीकृत होने के दिन से 4 वर्ष 6 माह तक भवन निर्माण कार्य पूरा करने का समय दिया गया, अगर 4 वर्ष 6 माह में विकासकर्ता भवन का निर्माण किसी प्रकार के प्राकृति विपदा, भवन निर्माण सामग्री को समय पर उपलब्धता नहीं होने या सरकारी व्यवधान या नियम के कारण पूर्ण नहीं हो पाया तो भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 6 माह अतिरिक्त समय में विकासकर्ता निर्माण कार्य अवश्य पूरा कर देंगे एवं जबतक इमारत नहीं बनता है तबतक एग्रीमेन्ट के दिन से विकासकर्ता द्वारा भूखंड स्वामी को प्रति माह 7,000/- रुपये भुगतान करते रहेंगे, जबतक जमीन मालिक को उनका हिस्सा का प्लैट पूरी तरह निर्माण कर सुपुर्द नहीं कर देते है।

शुभम शिन्हा
10.04.2023

ASHIRWAD ENGCON PVT. LTD.

10.4.23
Managing Director



12- यह कि भविष्य में यह बहुमंजिला भवन बनने के बाद अगर पटना नगर निगम/नगर परिषद से पूर्व में बने बहुमंजिला भवन से उपर निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसमें भी दोनो पक्ष को उसी प्रकार हिस्सा होगा निर्माण में जो खर्च होगा उसका वहन विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष करेंगे ।

13- यह कि प्रथम पक्ष/जमीन मालिक तथा इनके उत्तराधिकारीगण निर्माण कार्य की अवधि में निर्माण कार्य का निरीक्षण दिन और रात में किसी भी समय कर सकते हैं ।

14- यह कि इस एकरारनामा के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल परम निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, सिढ़ी, बालकोनी, एमनिटीज के साथ निर्मित फ्लैटों एवं कार पार्किंग का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सा पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारीगण स्वतंत्र रूप से करेंगे ।

15- यह कि निर्माण के मार्ग में विकासकर्ता के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को अपने स्तर से पूर्ण करने का अधिकार होगा । जिससे कि प्रस्तावित योजना का कर्तव्यपूर्ण पूर्ण हो सके । निर्माण कार्य से लागत पूंजी का कुल समावेश विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने स्तरों से करेंगे या पूंजी मुहैया करने हेतु विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने हिस्से को आवंटनकर्ता एवं खरीदार या खरीदारगण से प्राप्त करेंगे तथा आवंटनकर्ता एवं खरीदार या खरीदारीगण को फ्लैट खरीदने एवं उपलब्ध कराने हेतु किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से आर्थिक ऋण लेने हेतु बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही कराने में मदद कर रकम प्राप्त करेंगे या विकासकर्ता के आवंटित एवं खरीदार एवं खरीदारों द्वारा विकासकर्ता के हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंग के उपर खुद ऋण प्राप्त कर विकासकर्ता को भुगतान कर देंगे । इस तरह विकासकर्ता को जो भी रकम अपने हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंग के आवंटित एवं खरीदार एवं

श्वोभला सिन्हा

10.04.2023

ASHIRWAD ENGINEER PVT. LTD.

10.4.23
Managing Director



खरीदारों से स्वयं भुगतान या ऋण द्वारा भुगतान होगा, उसे विकासकर्ता भवन निर्माण में खर्च करेगा। जिसके लिए आवश्यकतानुसार किसी भी आवंटियों एवं खरीदार/खरीदारों के पक्ष में बिक्रय एकरारनामा का लिखा पट्टी करेंगे या आवश्यकतानुसार उसे निबंधन कार्यालय में निबंधित करेंगे। अतएव विकासकर्ता किसी भी हालत में जमीन मालिक के मिलने वाले हिस्से के प्लैटों एवं कार पार्किंग के साथ साथ जमीन में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा को किनही भी आवंटियों एवं खरीदार/खरीदारों के पक्ष में बिक्रय नहीं करेंगे साथ ही साथ अनुसूची-1 में वर्णित जमीन को सरकारी या गैरसरकारी संस्था से बंधक या बिक्रय नहीं करेंगे।

16- यह कि विकासकर्ता को उपरोक्त वर्णित भूमि के अगल वगल के जमीन मालिकों द्वारा बहुमंजिला भवन निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में विकासकर्ता अगल वगल के जमीन मालिकों से उनकी जमीन को विकास एकरारनामा पर लेकर या खरीद कर उक्त भूमि के साथ मिलाकर बहुमंजिला भवन निर्माण कई ब्लॉकों में करेंगे उसमें जमीन मालिक कोई आपत्ति एवं विरोध नहीं होगा।

17- यह कि सभी संबंधित व्यक्ति विशेष जैसे रचनाकार अभियंता, सर्वेयर, ठीकेदार आदि को नियुक्ति करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा।

18- यह कि बहुमंजिला भवन योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सिमेंट, औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा इत्यादि की खरीदगी अपने स्तर से विकासकर्ता करेंगे। अगर सरकार द्वारा उक्त भवन निर्माण सामग्रियों के उपर कोटा का निर्धारण निर्माण कार्य के समय हो जाएगा तो विकासकर्ता सामग्रियों को प्राप्त करने हेतू अपने हस्ताक्षर से संबंधित पदाधिकारियों या उचित कार्यालयों में आवेदन देगे एवं आवेदन के स्वीकृति के अनुसार भवन निर्माण सामग्रियों को प्राप्त करेंगे और उससे भवन निर्माण कार्य में लगायेगे।

स्वर्णलता सिन्हा

10.04.2023

ASHIRWAD ENCLON PVT. LTD.

10-4-23

Managing Director



19- यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का बिक्रय एकरारनामा, निर्विवाद बिक्रय पत्र, आवंटन तथा किरायानामा आदि अभिलेखों के निबंधन हेतु अपने आवंटियों खरीदार/खरीदारों से वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों को निष्पादन करेंगे ।

20- यह कि जब कभी विकासकर्ता को भुखंड स्वामीगण की किसी वसिका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी तब उनको साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोक्त के लिए स्वामीगणत्व हस्ताक्षर के मुताबिक ही आचरण करेंगे । उसी प्रकार जमीन मालिक भी अपने हिस्से पर पड़ने वाले फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र का पुर्ण स्वामीगण होंगे तथा हस्तान्तरण के समय अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्ता निष्पादन के समय हस्ताक्षर कर देंगे ।

21- यह कि भुखंड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा । द्वितीय पक्ष को कार्यालयों में उपयोग हेतु फोटो प्रति दिया जायेगा । जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष विकासकर्ता को कार्यालयों में प्रस्तुत करने हेतु सुपुर्द करेगी ।

22- यह कि प्रस्तावित योजना के तहत भुखंड पर निर्माण कार्य प्रारूप की स्वीकृति पी० एम० सी० के द्वारा होने के बाद बिहार म्युनिसिपलिटि/म्युनिसिपल एक्ट 2007 के प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत निर्माण किया जायेगा एवं प्रस्तावित योजना से ज्यादा एरिया का निर्माण कार्य किया जायेगा तो उसके वियद्व दंड राशि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा । यदि सरकारी द्वारा उक्त अपार्टमेंट का जो भी क्षेत्र अधिग्रहित किया जायेगा उसका मुआवजा राशि में से जमीन मालिक और विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष का उपर वर्णित हिस्से के अनुसार हिस्सा होगा और दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से से प्राप्त करेंगे ।

23- यह कि जमीन के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च, स्टाम्प



स्वर्णलता सिन्हा

10.04.2023

ASHIRWAD ENGIICON PVT. LTD.

31/04/23
Managing Director

स्वर्णलता सिन्हा

10.04.2023

~~इयूटी खर्च एवं निबंधन फीस एवं अन्य तरह का फीस का वहन दोनो पक्षकारों के खरीदार/खरीदारगण अपने स्तर से करेंगे ।~~

24- यह कि बहुमंजिला भवन में विधुत कनेक्शन की जमानत राशि हर फ्लैट में बिजली कनेक्शन हेतू जमा होगा । जेनरेटर का लाईन आवश्यकतानुसार वाट का होगा । जिसका कनेक्शन भवन के सभी जगहों पर होगा ।

25- यह कि कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्ता और जमीन मालिक एवं भवन के फ्लैटों के सभी सदस्यों एवं व्यक्तियों के द्वारा एक एसोसियशन बनाया जायेगा । इस बहुमंजिला आवासीय भवन के फ्लैटों में रहने वाले सभी सदस्य इस एसोसियशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपने स्तर से खर्च वहन का बहुमंजिला आवासीय भवन के सभी हिस्सो को रख-रखाव, देखभाल, सफाई एवं रंगाई पोताई आनर्स एसोसिएशन के माध्यम से करेंगे ।

26- यह कि बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण कार्य के दौरान घटना-दुर्घटना या सरकारी विभागों के दण्ड का जवाबदेही विकासकर्ता का होगा । जिसकी जवाबदेही जमीन मालिक पर नहीं होगी ।

27- यह कि विकास कार्य एकरारनामा के अनुसार बहुमंजिला भवन के पार्किंग एरिया में जमीन मालिक का उपर वर्णित के अनुसार हिस्सेदारी होगा, इसी तर विकासकर्ता का भी पार्किंग एरिया में उपर वर्णित के अनुसार हिस्सेदारी होगा । जिसे जमीन मालिक एवं विकासकर्ता सतह पर स्थित पार्किंग एरिया में मार्किंग किया जायेगा जिसका जिक्र जमीन मालिक और विकासकर्ता के बीच हिस्सों के संबंध में किये गये बंटवारा में उल्लेख किया जायेगा ।

28- यह कि कीमत के रूप में विकासकर्ता ये स्वीकार करते है कि जमीन मालिक का विकास एकरारनामा में वर्णित अनुसार में फ्लैटों के साथ-साथ कार वार्किंग स्पेशों में हिस्से



ASHWANI EMBROIDERY P.L.L.D.
3770 B.B. J. 23
Managing Director

देंगे। जिन्हे उपरोक्त वर्णित भूमि पर भवन का निर्माण कर खास दाज और हिस्से में मिलेगा। जिसके जमीन मालिक निर्विवाद रूप से पूर्ण स्वामीगण, स्वत्वाधिकारीगण, सर्वाधिकारीगण और दखलकारगण होंगे, जिसे वे जिस प्रकार से चाहे और पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व से उसे किन्हीं अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, संस्था फर्म और अन्य वगैरह को इस विकास एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप जिस तरह या जिस तरीके से अनिवार्य होगा उसे हस्तान्तरित करेंगे और अपने हिस्से के पूर्ण रूप से बना हुआ फ्लैट विकासकर्ता का क्षेत्र कहा जायेगा। इस तरह जमीन मालिक और विकासकर्ता बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप अधिनियम 2006 की धारा 5 वगैरह के अन्तर्गत अपने-अपने पूर्णरूपेण निर्विवाद रूप से स्वामीगण, मालिकगण, अधिकारी, स्वत्वाधिकारी, सर्वाधिकारी और दखलकार होंगे और उसे विकासकर्ता जिस किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था फर्म और अन्य वगैरह को जिस तरीके से भी चाहे बिक्रय या पट्टा पर तथा किसी अन्य तरह से हस्तान्तरित करेंगे और पूर्ण रूपेण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

29- यह कि अपार्टमेन्ट ऑनरशीप अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विकासकर्ता या उनके खरीदार अपने हिस्से का बनावट के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित भूखण्ड में अनुपातित भू-भाग से निर्विवाद स्वामीगण पूर्ण रूपेण होंगे इससे जमीन मालिक तथा इस सभी के उत्तराधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधार पर विरोध, आपत्ति तथा दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जमीन मालिक विकासकर्ता को स्थाई पावर ऑफ एटर्नी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विकासकर्ता को उपरोक्त भूखण्ड पर सभी तरह का कार्य करने या विकास करने नक्शा बनाने, अथवा निर्माण करने या उसको बेचने का शान्तिपूर्ण अधिकार होगा।



स्वर्णलता सिन्हा

10.04.2023

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

10-4-23
Managing Director

30- यह कि जमीन मालिक यह घोषणा करते हैं कि जमीन हर तरह के ऋण भार से मुक्त है । जमीन मालिक यह भी आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक बहुमंजिला आवासीय भवन पूर्ण रूप से बन नहीं जाता है तबतक यह सम्पत्ति हर तरह के ऋणभार से मुक्त रहेंगे ।

31- यह कि विकास एकरारनामा में लिखी गई शर्तों में किसी तरह का परिवर्तन या संशोधन जमीन मालिक एवं विकासकर्तागण की लिखित सहमति से किया जायेगा और दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष इस विकास एकरारनामा में लिखी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे ।

32- यह कि भवन निर्माण के दौरान सभी प्रकार का निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीन इत्यादी जो निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लाया जाएगा वह सब उच्च कोटी का होगा उसकी सारी जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इन सभी उपकरणों का रख-रखाव, चोरी इत्यादि से बचाव भी विकासकर्ता की जिम्मेवारी होगी । किसी भी तरह के नुकसान के लिए जमीन मालिक उत्तरदायी नहीं होंगे ।

33- यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद एकरारनामा के अनुसार उत्पन्न होता है तो भू-स्वामीगण एवं विकासकर्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आरबिट्रेशन एक्ट तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा ।

यह कि अगर उक्त जमीन पर आज या भविष्य में किसी तरह का दावा-विवाद उत्पन्न होगा या किसी व्यक्ति द्वारा दावा-दाबी किया जायेगा तो उसकी सारी जबाबदेही जमीन मालिक की है वो होगी ।

अनुसूची

भूमि का विवरण जिसपर आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण के रूप में विकास होगा ।

मवाजी 900 वर्गफीट (नौ सौ वर्गफीट) यानि 2.066 डीसमल भूमि आवासीय परती सहायक अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा में पैनल राजस्व कृत्का- पैनल,



शुवणलता शिन्हा
10.04.2023

ASHIRWAD ENGINCON PVT. LTD.
337102
10-4-2023
Managing Director

परगना- मनेर, थाना- बिहटा, सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर
रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 70, अंचल-
बिहटा ।

शुक्लेश्वरी सिन्हा
10.04.2023

खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	मूल्य
2038	8650	1.033 डी०	1,66,000/-

“ चौ ह दी ”

उत्तर : आर्शीवाद इंजीकॉन प्रा० लि०

दक्षिण : सर्वे प्लॉट नं०- 8650 वो 8649

पूरब : निमेष वर्मा ।

पश्चिम: वीणा कुमारी ।

खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	मूल्य
2038	8649	1.033 डी०	1,66,000/-

“ चौ ह दी ”

उत्तर : आर्शीवाद इंजीकॉन प्रा० लि०

दक्षिण : सर्वे प्लॉट नं०- 8650 वो 8649

पूरब : निमेष वर्मा ।

पश्चिम: वीणा कुमारी ।

जमीन का सरकारी कीमत अंकेन मो० 3,32,000/- रुपया (तीन
लाख बत्तीस हजार रुपया) मात्र ।

अनुसूची-2

- 1- स्ट्रक्चर : आर०सी०सी० फेम स्ट्रक्चर
- 2- सिविल वर्क : प्रथम श्रेणी का ईट वर्क प्रिज्म का लफार्ज
सिमेन्ट मोर्टर के साथ ।
- 3- छत : आर०सी०सी०
- 4- फर्श : टाइल्स (KAJARIA)



ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

10-4-23
Managing Director

पौत्रा - पेंनाल
के लुपी केसरा पंजीकेब लिस्ट से
क्याप किया।
Plot no - 8650, 8649 - आवारा
10/04/2023

- 5- प्लास्टर : सिमेंट मोर्टार 1:6 सिलिंग 1:4
- 6- दरवाजा : सखुआ लकड़ी का चौखट एवं दरवाजा 30 ग्रिन प्लाई एम0एम0 मोटा फैक्ट्री से निर्मित प्लस डोर।
- 7- खिड़की : अलुमुनियम या चौखट फ्रेम अलुमुनियम का पल्ला शीशा लागकर।
- 8- रसोई घर : मार्बल का वर्किंग फ्लैट फार्म, जोजाइक सिंक तथा दिवाल में सफेद ग्लैज्ड टाइल्स और डायनिंग रूम में भी एक वास बेसिन रहेगा।
- 9- बाथरूम : दिवाल में 7 फीट ग्लेज टाइल्स तथा सतह में मार्बल या इसपटक फ्लोरिंग साथ ही जल आपूर्ति आर्शीवाद फिटिंग, चिनी मिट्टी का सफेद हिन्दवेयर, पैन फिटिंग एवं बेसिन।
- 10- विद्युत वायरिंग: कॉन्सिल पी0 बी0 सी0 कौन्ड्यूट वायरिंग (Havells) सहित आई एस आई मार्का का फिटिंग, स्वीच के साथ।
- 11- दिवाल फिनिशिंग : अन्दर के प्लास्टर ऑफ पेरिस।
- 12- टी0 भी0 प्वाईट : सभी फ्लैटों में एक प्वाईट।
- 13- सिवेज : सिवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
- 14- जेनरेटर : जलापूर्ति तथा कॉमन क्षेत्र के साथ पूर फ्लैट के लिए 300 वाट।
- 15- समरसिवुल पम्प: एक
- 16- लिफ्ट : एक (आवश्यकतानुसार)
- 17- छड़ : टाटा का लगान।
- 18- ईट : 1 नम्बर का
- 19- प्लम्बर : आर्शीवाद
- 20-सिट- हिन्द वेयर
- 21- बेसिन : हिन्द वेयर।

भूखंड स्वामीगण प्रथम पक्ष विकसकर्ता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत है तथा वादा करता है कि मिलजुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।



श्वर्णलता शिन्हा
10.04.2023

ASHIRWAD ENGIICON PVT. LTD.
10-4-23
Managing Director

इस वास्ते भूखंड स्वामीगण/प्रथम पक्ष और विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष ने इस विकास एकरारनामा मे लिखी गई बातों एवं शर्तों को पढ़कर और पढ़वाकर समझते हुए सोच विचार कर बिना किन्ही के दबाव एवं धमकाव तथा किसी तरह की आपत्ति के एक-दूसरे के पक्ष में लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षर

Rekesh Kumar
10.04.2023

भूखंड स्वामी का हस्ताक्षर
स्वर्णलता सिन्हा
10.04.2023

S/O - BIRBAL KUMAR
ADD - CHAND CHOURA KHAWA
GALI, GAYA
PS - CIVIL LINE GAYA,
DISTT. GAYA - 823001

विकाकर्ता का हस्ताक्षर

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

31/04/23
Managing Director

~~Sujit Kumar Sista~~
S/O Umesh Kumar Sista
R/O Jay Prakash Nagar
Bhootsath Road, Patna
Patna - 800026
Dated - 10/04/23



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 6640/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper Rs. 0/-
Amt. paid through Bank Challan Rs. 27140/-

Registration Fee

FEE PAID									
A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0
TOTAL-									20000

LLR + Proc Fee Service Charge

LLR	0	
Proc. Fee	0	500
Total	0	


Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20500

Date: 10/04/2023


Registering Officer
Bihta

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bihta on Monday, 10th April 2023 by Swarnalata Sinha Rakesh Kumar by profession Others. Status - Executant


10.04.2023

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 10/04/2023


Registering Officer
Bihta

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rakesh Kumar' age '44' Sex 'M', 'Birbal Kumar', resident of 'Chand Choura Khawa Gali Gaya, gaya. '), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 10/04/2023


Registering Officer
Bihta

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bihta in Book 1 Volume No. 56 on pages on 289 -304, for the year 2023 and stored in CD volume No. CD-9 year 2023 .The document no. is printed on the Front Page of the document.



Date : 10/04/2023


Registering Officer
Bihta

Token No. : 3489 Year : 2023 S.No. : 3456 SCORE Ver.4.1 Deed No. : d No. : 3437



**INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp**



Certificate No. : IN-BR55174403761667V
Certificate Issued Date : 06-Apr-2023 11:11 AM
Account Reference : NONACC (CB)/ brpccb09/ BIHTA/ BR-PAT/ PTC
Unique Doc. Reference : SUBIN-BRBRPCCBK0992998651282472V
Purchased by : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD
Description of Document : Not Applicable
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) : 0 (Zero)
First Party : Not Applicable
Second Party : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD
Stamp Duty Paid By : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD
Stamp Duty Paid (Rs.) : 0 (Zero)
Reg. fee (Rs.) : 0 (Zero)
LLR & P Fee (Rs.) : 0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.) : 0 (Zero)
Discore SC (Rs.) : 500 (Five Hundred only)
Total Amount (Rs.) : 500 (Five Hundred only)



स्वर्णलता सिन्हा
10.04.2023



ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

Do not write or type below this line

RS 0000456698

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Warning



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."





E - CHALLAN
Government of Bihar
BTC - 4

Valid Upto : 20/04/2023	Date : 05/04/2023 02:32:22 PM
GRN : BHR20230400083577E	
Department : Registration, Excise & Prohibition Department	
Office Name : Bihta	From :
Financial Year : 2023-2024	To :
Treasury : Patna Collectorate	

ACCOUNT HEAD DETAILS	PAY AMOUNT
R0030021030001-75-49-STAMP DUTY ON IMPRESSING OF DOCUMENTS	6640.00
R0030031040001-75-49-FEES FOR REGISTERING DOCUMENTS	20000.00
R0029008000006-00-01-LANDLORD REVENUE AND PROCESSING FEES	0.00
Total Amount : Rupees Twenty Six Thousand Six Hundred Fourty Only	26640.00

PAYER DETAILS	
Tax ID (if any) :	
Unique Id :	
Name : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD	(T 3489)
Address : PATNA	

PAYMENT DETAIL	FOR USE IN RECEIVING BANK			
BANK Name : SBI	CIN	00001532023040581788	REF No	CKW5757219
Branch :	Date & Time :	05/04/2023 02:40:51 PM		
	Scroll No & Date :			

----- Cut Here ----- Cut Here ----- Cut Here -----

BANK NAME	SBI	Pre Acknowledgement Payment (PAP) for Payment through any branch			(BRANCH COPY)
Bank Reference Number	CKW5757219	Mode of Payment	Cash	Cheque/DD	
Beneficiary		Cash Notes	Amount	Rs	Paise
GRN : BHR20230400083577E		2000 x			
Full Name : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD		500 x			
Amount : 26640.00		100 x			
		50 x			
Cheque/DD No :		20 x			
Date : 05/04/2023 02:40:51 PM		10 x			
Drawee Bank : SBI					
Drawee Branch :		Total	Rs		



Branch Stamp

Signature of Depositor

पहचान



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA




राकेश कुमार

Rakesh Kumar

जन्म तिथि/ DOB: 15/06/1978

पुरुष / MALE



9523 0588 4348

आधार-आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

S/O बीरबल कुमार, चांद
चौरा खावा गली गया, पोस्ट
चांद चौरा थाना सिविल
लाइन गया, गया, गया,
बिहार - 823001

Address:

S/O Birbal Kumar, chand choura
khawa gali gaya, post chand choura
ps civil line gaya, Gaya, Gaya,
Bihar - 823001

Rakesh Kumar
10.04.2023

9523 0588 4348

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar